प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.07.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान गौकशी व चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गण घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा (315 बोर व .32 बोर) व 02 खोखा कारतूस (315 बोर व 32.बोर) व 02 जिन्दा कारतूस (315 बोर व .32 बोर) व 01 अदद लोहे की नुकीली रॉड व 02 अदद रस्सी, 02 दाव (छुरे) गौकशी करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त 01 स्पेलण्डर मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 06.07.2025 को रात्रि में थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु गढी सबलू रोड समाधि के पास चेकिंग की जा रही थी तभी 02 बाइक सवार व्यक्ति राशिद अली गेट की ओर से आते दिखाई दिए जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को देखकर रोकने का बहाना बनाकर धीमा करते हुये एकदम से तेज चलाकर गढी सबलू गांव की तरफ भागने लगे , तभी उनकी मोटरसाइकिल गढी सबलू रोड खडखडी फाटक से 100 कदम पहले फिसल कर गिर गई , जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन लोगों ने अपने को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किये जिसमें अभियुक्तगणों के पैरों मे गोली लगी जिससे अभियुक्तगण घायल होकर नीचे गिर गये। पुलिस टीम द्वारा मौके से अभियुक्तगण दिलशाद पुत्र सलीम निवासी चांद मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष व मुरसलीन पुत्र अजीज निवासी इस्लामी मदरसे के पास वाली गली जमालपुरा राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा (315 बोर व .32 बोर) व 02 खोखा कारतूस (315 बोर व .32 बोर) 02 जिन्दा कारतूस (315 बोर व .32 बोर) व 01 अदद लोहे की नुकीली रॉड व 02 अदद रस्सी(गौकशी उपकरण) व घटना में प्रयुक्त 01 स्पेलण्डर मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्तगणो को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम चोरी करते है तथा यदि कोई हमे चोरी करते देख लेता है तो तमंचा दिखाकर डराकर लूट लेते है तथा मौका लगने पर हम गौकशी व गांजा की तस्करी कर लेते है। आज हम जिस बाइक पर सवार थे वह हमनें दिल्ली से करीब तीन महीने पहले चोरी की थी। आप पुलिस वालों ने हमें चेकिंग के लिए रोका था, तो हम भाग निकले थे मगर आपने हमारा पीछा किया जिससे हमे लगा कि आप लोग हमें पकड़ लेंगे इसलिए पहले हमनें आपको जान से मारने की धमकी दी फिर भी आप पुलिस वाले नही माने तो हमने आपके ऊपर फायर कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1.दिलशाद पुत्र सलीम निवासी चांद मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

2.मुरसलीन पुत्र अजीज निवासी इस्लामी मदरसे के पास वाली गली जमालपुरा राशिद अली गेट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1.मुरसलीन उर्फ छोटन पुत्र अजीज कुरैशी निवासी जमालपुरा थाना लोनी गा0बाद

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 1159/07 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद,
2.मु0अ0स0 861/11 धारा 304 भादवि थाना लोनी गा0बाद,
3.मु0अ0स0 736/16 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी गा0बाद,
4.मु0अ0स0 1294/16 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी गा0बाद,
2.दिलशाद पुत्र सलीम निवासी निठौरा रोड मौ0 जमालपुरा अमन चौक थाना लोनी गा0बाद
1. मु0अ0स0 1431/25 धारा 147/148/323/452/504/506 भादवि थाना लोनी गा0बाद,
2.मु0अ0स0 1354/22 धारा 386/420/406/467/468/471/120बी भादवि थाना लोनी गा0बाद
3.मु0अ0स0 1457/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी गा0बाद
4.मु0अ0स0 591/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना लोनी गाजियाबाद,

बरामदगी का विवरण-

02 अवैध तमंचा (315 बोर व .32 बोर) व 02 खोखा कारतूस (315 बोर व .32 बोर) 02 जिन्दा कारतूस (315 बोर व .32 बोर) व 01 अदद लोहे की नूकीली राड व 02 अदद रस्सी,02 दाव (छुरे) गौकशी उपकरण व घटना में प्रयुक्त 01 स्पेलैण्डर मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान घरों में चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुयी 06 जोड़ी टॉप्स, 01 जोड़ी झूमकी, 02 अँगूठी, 01 चैन व 7,000/- रूपये बरामद।

आज दिनांक 06.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घरों में चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. समीर बग्गा पुत्र लियाकत अली निवासी मस्जिद के पास समीर की दुकान के पास थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष व 2. संजय कश्यप पुत्र राजेश कश्यप निवासी बन्द गली बंगाली कालोनी विक्रम एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 22 वर्ष को गंदा नाला सर्विस रोड़ छाबडा चौक के से चोरी की हुयी 06 जोडी टॉप्स, 01 जोडी झूमकी, 02 अँगूठी, 01 चैन व 7,000/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धारा 331(3),305,305ए बीएनएस में पंजीकृत दो अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त समीर बग्गा पुत्र लियाकत अली व संजय कश्यप पुत्र राजेश कश्यप उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त घरों से कीमती सामान चोरी करते हैं। इसीक्रम में दोनों अभियुक्तों ने दिनांक 03.07.2025 को दोपहर के समय गौरीशंकर विहार थाना शालीमार गार्डन के एक घर से ज्वैलरी व रुपये चोरी किए थे तथा दिनांक 29.05.2025 को शालीमार गार्डन एक्स 01 से सुबह के समय एक घर से ज्वैलरी रुपये व

मोबाइल फोन चोरी किया था। जो ज्वैलरी व पैसे दोनों अभियुक्तों से बरामद हुए है। वे इन्ही दोनों चोरी की घटनाओं से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. समीर बग्गा पुत्र लियाकत अली निवासी मस्जिद के पास समीर की दुकान के पास थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।
2. संजय कश्यप पुत्र राजेश कश्यप निवासी बन्द गली बंगाली कालोनी विक्रम एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 22 वर्ष।

बारामदगी का विवरणः-

चोरी की हुयी 06 जोडी टॉप्स, 01 जोडी झूमकी, 02 अँगूठी, 01 चैन व 7,000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त समीर बग्गा पुत्र लियाकत अली उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 05 अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त कश्यप पुत्र राजेश कश्यप उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जनता की शिकायतों के समयबद्ध व त्वरित निस्तारण करने के क्रम में कमिश्नरेट गाजियाबाद की जनसुनवाई में एक महत्वपूर्ण पहल।

दिनांक 07.07.2025 को पुलिस आयुक्त, महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कमिश्नमरेट के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।

इस जनसुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जनता की विभिन्न शिकायतों,समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विशेष रूप से जनता से प्राप्त फीडबैक को प्राथमिकता देने तथा थानों में शिकायत निस्तारण की पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखने के निर्देश दिए।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग की इस पहल से शिकायत लेकर उपस्थित होने वाले शिकायकर्ता की शिकायत पर की गई कार्यवाही/स्थिति के सम्बन्ध में तत्समय ही (रियल टाइम में) सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/थाना प्रभारी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अवगत कराया जायेगा, जिससे की शिकायतकर्ता की शिकायत का त्वरित एंव गुणवत्तापूर्वक निस्तारण होना सुनिश्चित होगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना तथा जनसुनवाई प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है, जिससे प्रत्येक नागरिक की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुना और निस्तारित किया जा सके।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 06 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 04.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी श्री रोहित सागर निवासी बहरामपुर सोसायटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा लिखित सूचना दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा व मैनुअल इन्पुट के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. रवि कुमार पुत्र महेश कुमार प्रजापति निवासी बिलाल मस्जिद के पास खजूर अंदर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 23 वर्ष 2. सौरभ कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र दिवाकर निवासी बसगोई थाना सासनी जिला हाथरस उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी की 01 मोटरसाइकिल व अन्य चोरी की 05 मोटरसाइकिल (कुल-06 मोटरसाइकिल) बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) /317(5) बीएनएस के अन्तर्गत प्रथक अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हमसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं उनमे से 01 मोटरसाइकिल हमने 03-04 दिन पहले यूनिवन रेजिडेन्सी सोसायटी के पास से चोरी की थी तथा 01 मोटरसाइकिल हमने कुछ दिन पहले थाना बिसरख क्षेत्र से चोरी की थी तथा अन्य 04 मोटरसाइकिल हमने NCR क्षेत्र के ही अलग-अलग जगह से चोरी की थी जिनको हम एक जगह इकट्ठा करके अलीगढ ले जाकर बेचना चाहते थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. रवि कुमार पुत्र महेश कुमार प्रजापति निवासी बिलाल मस्जिद के पास खजूर अंदर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।
2. सौरभ कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र दिवाकर निवासी बसगोई थाना सासनी जिला हाथरस, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 06 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.07.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मैनुअल इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त संजय पुत्र राम प्रसाद निवासी म0न0 एच - 238 गली न0 03 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद वर्तमान पता फ्लैट नं0 737 गली नं 10 बुद्ध बाजार शिव चौक थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को लोहिया गेट के पास थाना क्षेत्र साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त संजय पुत्र राम प्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियक्त संजय पुत्र राम प्रसाद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त आर्थिक लाभ कमाने के लिए आम लोगों के साथ अवैध हथियार के बल पर लूट व स्नेचिंग करने की घटना कारित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजय पुत्र राम प्रसाद निवासी म0न0 एच - 238 गली न0 03 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद वर्तमान पता फ्लैट नं0 737 गली नं 10 बुद्ध बाजार शिव चौक थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियक्त संजय पुत्र राम प्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लूट व गैगस्टर एक्ट के 03 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर लूट व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो 990 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 07.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1.मंजीत सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम पिपरा थाना शाहजीतपुर जिला छपरा राज्य बिहार उम्र करीब 20 वर्ष 2. दिलीप सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम बढाईमपुर थाना मसरख जिला छपरा राज्य बिहार उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 20 किलो 990 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त अवैध गांजा बरामदगी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग उडीसा से भारी मात्रा मे गांजा लेकर आते हैं तथा उस गांजे की छोटी छोटी पुडिया बनाकर दिल्ली, NCR क्षेत्र व गाजियाबाद में राह चलते लोग जो गांजा पीने के आदि है, को बेच कर मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

1.मंजीत सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम पिपरा थाना शाहजीतपुर जिला छपरा राज्य बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।

2. दिलीप सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम बढाईमपुर थाना मसरख जिला छपरा राज्य बिहार उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर NDPS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

20 किलो 990 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।